

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)

कमांक एफ 12(12)ग्रावि/नरेगा/ज्ञापन-2010 पार्ट-II

जयपुर दिनांक

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद  
अलवर ।

11 0 FEB 2012


विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिको को अवैतनिक  
अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र कमांक प-2/संस्था/2011/10499 दिनांक 20.01.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पत्र  
दिनांक 01.12.2011 के अनुसार संविदा कार्मिको को एक माह से अधिक अवधि का अवैतनिक  
अवकाश स्वीकृति किया जाना अनुमत नहीं है तथा किसी कार्मिक को एक माह तक अवैतनिक  
अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ उतने ही दिन आगे पूरे  
होने पर दिया जा सकता है जितने दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

भवदीय




(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस